——वादीगण

बनाम

1. नानुराम आत्मज मगना जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
2. बद्रीलाल उर्फ बौथमल आत्मज नानुराम जाट नि0 लाखोला तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
3. धनराज आत्मज मगना जाट नि0 लाखोला तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
4. उप पंजीयक सहाड़ा मुकाम गंगापुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा, मु0 गंगापुर

——प्रतिवादीगण

—:आदेशः— दिनांक :— 25.05.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर सजरा इस प्रकार है :—

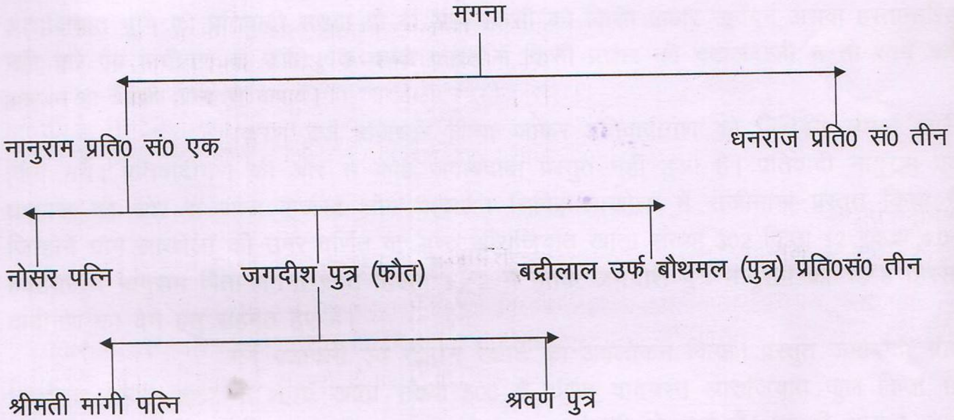

ग्राम लाखोला की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 खाता संख्या 508 में अंकित आराजियात संख्या 1062 रकबा 0.38 हे0, 1063 रकबा 0.48 हे0, 1146 रकबा 0.27 हे0, 2658 रकबा 0.31 हे0, 2604 रकबा 0.27 हे0, 2658 रकबा 0.31 हे0, 2686 रकबा 0.08 हे0, 2687 रकबा 0. 81 हे0, 2725 रकबा 0.38 हे0, 3191/1066 रकबा 0.03 हे0, 3192/1145 रकबा 0.05 हे0, 3193/2688 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 12 रकबा 4.04 है0 भूमि स्थित हैं। सजरे अनुसार वादीगण के मूल पुरूष मगना पिता नंगजीराम जाट जिनका स्वर्गवास दिनांक 29.04.2013 को हो गया है। मंगना की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1154 उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम व प्रतिवादी संख्या 3 धनराज के नाम पर फैसल किया गया जिसका इन्द्राज उक्त जमाबन्दी में किया हुआ है। खातेदार नानुराम पिता मंगना जाट के दो पुत्र जगदीश व प्रतिवादी संख्या दो बद्रीलाल उर्फ बौथमल है। नानुराम के पुत्र जगदीश का स्वर्गवास करीब दस वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक जगदीश के हम वादीगण पुत्र व पत्नि होकर विधिक वारिसान है। खातेदार नानुराम की हम वादीगण संख्या एक के दादाजी व वादिया संख्या दो के ससुर हैं। वादीगण नानुराम के पुत्र जगदीश के पुत्र व पत्नि हैं।

क्रमशः...........

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: आदेश ::

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण व विरुद्ध प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर ग्राम लाखोला की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 302 में अंकित आराजी संख्या 1062 रकबा 0.38, 1063 रकबा 0.48, 1146 रकबा 0.23, 2601 रकबा 0.83, 2604 रकबा 0.27, 2658 रकबा 0.31, 2686 रकबा 0.08, 2687 रकबा 0.81, 2725 रकबा 0.38, 3191/1066 रकबा 0.03, 3192/1145 रकबा 0.05 एवं 3193/2688 रकबा 0.19 कुल किता 12 कुल रकबा 4.04 में प्रतिवादी नानुराम पिता मगना जाट के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से अर्थात 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। शेष 2/6 हिस्सा प्रतिवादी नानुराम पिता मगना जाट का रहेगा तथा सम्पूर्ण आराजियात में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी धनराज पिता मंगना जाट का रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्व्यं करे ओर न ही किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज0)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

जिला भीलवाड़ा (राज.)